

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड  
 आलय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... जयपाल वर्मा बनाम ..... रामचन्द्र वर्मा

मुकदमा ..... दावा) ..... मुकदमा नं. .... 174 ..... सन् 2019

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
710/9	<p>वादीगण श्री आर. ए. वकील                  श्री भद्रकाण्ठ ने वाद पत्र पेश किया।                  विपक्ष सरिता ली गयी। वाद पत्र                  4 वीं अतिरिक्त किताब (आवे) प्रतिवादीगण को                  अतिरिक्त समस्त लघु किताबों को प्रेषित                  दिनांक 15-10-19 को पत्र है।</p> <p>15-10-19 वकील वादीगण अस्थिरा प्रतिवादीगण                  की तालीम समस्त खप व एकेर लोरी है। वादपत्र                  समस्त लघु किताब प्रतिवादीगण 4 अतिरिक्त व है अतः                  इसके विरुद्ध एक तरफ का कार्यवाही अन्त में लायी                  जाती है। प्रतिवादीगण ता 3 श्री आर. ए. वकील                  29/9/19 का व कामराना वकील श्री बसन्त                  वर्मा ने पेश किया जो अतिरिक्त किताबों को                  है। वादपत्र पत्र दिनांक 5/11/19 को अतिरिक्त                  पेश है।</p> <p>5/11/19 पत्रवाली पेश हुआ वकील वादीगण अतिरिक्त                  सरपंच आर. व. वरविहंडा के द्वारा जारी अन्त                  अतिरिक्त वादीगण अतिरिक्त पेश हुआ जो अतिरिक्त                  किताब किताब गता है। वकील वादीगण व वदम                  है।</p>	<p>3920                  7-10-19</p>

हुनी गयी। कोर्ट के इस बचन बिना कि:- वाद  
 प्राप्त प्रति खण्ड 203, 204/162 इन ग्राम भोजपुर  
 के वादीगण 2/5-दिसा के कारिल ~~का~~ काइतकार  
 हैं। वाद प्राप्त प्रमाणों के वादीगण का बोलना नाम  
 गोपाल पुत्र गोदा के स्थान पर सही नाम "जमपाल  
 पुत्र गोदा ईला-चाडिएवा तथा वादी 2 का  
 बोलना नाम ~~सन्तोष~~ सन्तोष पुत्र गोदा के स्थान  
 पर सही नाम रामपाल पुत्र गोदा दर्ज होना  
 चाडिएवा जो इनके सभी दस्तावेजों में साबित  
 हैं। अतः उक्त उधार दुरुस्ती के आदेश फरमाया गया।

किस वहीना वादीगण सुनी गयी। पत्रावली  
 व पत्रावली पर उपरोक्त राज्य क्रिडि व दालके  
 तथा ग्राम पंचायत बरसिहपुरा द्वारा जारी प्रमाण  
 पत्र एक प्रतिवादीगण स. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत  
 इस वली जबाब के अभावमें कि वादीगण के  
 वाद कथन साबित होते हैं। संपन्न ग्राम पंचायत  
 बरसिहपुरा में भी प्रमाण पत्र के अंकित बिना है  
 कि गोपाल पुत्र गोदा व जमपाल पुत्र गोदा एक ही  
 व्यक्ति हैं तथा सन्तोष पुत्र गोदा व रामपाल पुत्र गोदा एक  
 ही व्यक्ति हैं। अतः चाडि गमी गमी दुरुस्ती की आशिक्षा  
 भी की है। वादीगण के वाद कथनों के समर्थन  
 में पेश हुआ इस वली जबाब, ग्राम पंचायत द्वारा जारी  
 प्रमाण पत्र तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत आद्या (गर्ह,  
 गामाहाई कार्ड, रामगु गर्ह, गतराता पदचान पत्र) के  
 वाद कथन साबित होते हैं। अतः वादीगण का  
 वाद पत्र स्वीकार भोग्य पाये गये पर स्वीकार बिना  
 गारर धोषणा की जाती है कि:-

त

ब्र हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

आदेश

भूमि ख० न० २०३, २०६/६६२ कुल कित्ता  
 २ कुल रकबा १०९ ई० तम ग्राम भोजपुर तहसील  
 खड्डेवा त्रिभुजा सीकर राज. के बाणस सिंकाई के  
 कादी न० १ का कोलता नाम "जयपाल पुत्र गोदा  
 दिसा १/२ के स्थान पर कादी न० १ का सही  
 नाम "जयपाल पुत्र गोदा" तथा कादी न० २  
 का कोलता नाम "संतोष पुत्र गोदा दिसा १/२  
 के स्थान पर कादी न० २ का सही नाम "रामपाल  
 पुत्र गोदा दिसा १/२ कुल कित्ता जावे/इसी  
 अनुसार बाणस सिंकाई में अमल परामर्श हो।  
 तदनुसार डिक्री जारी है। पञ्चवली फेराम  
 कुमर होकर नम्बर से कम है बाक तकनीम  
 वापिस कर है।

for  
 (राजनीत सिंह)  
 जज  
 खड्डेवा (सि.)

